न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 123/2021/दावा/बउनवान/जितेन्द्र चौधरी बनाम राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या 2021/175

1. जितेन्द्र कुमार चौधरी आयु 39 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति जाट
2. ललताबाई चौधरी आयु 57 वर्ष पत्नि श्री जगदीश जाति जाट
3. रानी चौधरी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री जगदीश जाति जाट
   निवासीगण बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां राज0

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर. टी.एक्ट.

वकील वादीगण : श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एवं हरिओम यादव
दायरा दिनांकः 11.10.2021 **निर्णय दिनांक : 17.04.2025**

निर्णय

प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता नं. नया 221 पुराना 216 से खसरा नं0 2262 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नं0 2292 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नं0 2299 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा न0 2368 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2697 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं0 2713 रकबा 1.85 हैक्टर खसरा नं0 2714 रकबा 1.55 हैक्टर खसरा नं0 2723 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं0 2731 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2802/3082 रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नं0 44 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नं0 601 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नं0 665 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नं0 675 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं0 681 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 686 रकबा 0.43 हैक्टर, कुल किता 16 रकबा 13.53 है0, स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति जगदीश पुत्र रामचन्द्र की संयुक्त खातेदारी में हिस्सा 1/24 दर्ज है एव खाता सं0 नया 222 पुराना 217 से खसरा नं0 2261 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं0 2729 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नं0 2730 रकबा 3.95 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 4.20 हैक्टर आराजियात में वादीगण के पिता व पति श्री जगदीश पुत्र रामचन्द्र का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजियात मे श्री जगदीश पुत्र रामचन्द्र के खाते की आराजियात वाद की विषयवस्तु है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोन्धित किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजियात वादीगण की पैतृक संपत्ति है तथा जो वादीगण को उनके पिता व पति जगदीश जी से प्राप्त हुयी है। वादीगण के पिता व पति जगदीश जी दिनांक 20.04.2010 गत 10 वर्ष से भी अधिक समय से लापता है तथा उनकी गुमशुदगी के बाद से ही उक्त विवादित अराजियात पर वादीगण काबिज काश्त है तथा फसल बोते व काटते चले आ रहे हैं।
3. यह कि श्री जगदीश जी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

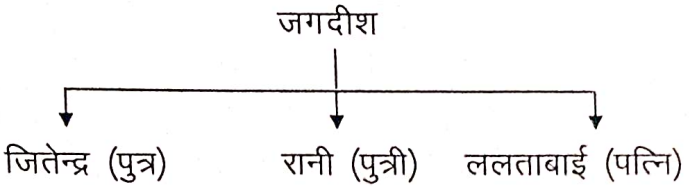

4. यह कि वादीगण के पिता व पति श्री जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी बोहत तह0 मांगरोल दिनांक 20.04.2010 को सुबह 8.00 बजे करीब रोडवेज बस में बैठ कर स्वयं के ससुराल दौलतपुरा थाना व जिला श्योपुर (म.प्र.) की कहकर घर से निकले थे, जिन्होंने वादी क्रम 1 को बताया था कि 15–20 दिन बाद वापस आ जाउंगा परन्तु श्री जगदीश जी दिनांक 10.06.2010 तक वापस घर नही आये, जो बी.पी. के मरीज भी थे। जगदीश जी के वापस घर पर नहीं लौटने पर वादीगण ने काफी तलाश किया तथा अपने समस्त रिश्तेदारों व परिचितों के घर पर भी मालूमात की । परन्तु उनका कोई पता नहीं चला जिस पर वादी कम 1 ने दिनांक 10.06.2010 को थाना मांगरोल में उपस्थित होकर अपने पिता जगदीश जी गुमशुदगी की रिपोर्ट करायी जिसे थाना मांगरोल ने एम.पी.आर नं. 4 रोजनामचा नं. 555 दिनाक 10.06.2010 पर दर्ज कर श्री जगदीश जी को तलाश करना प्रारम्भ कर दिया एवं उनके गुमशुदगी के पर्चे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवाये एंव उनके मोबाइल नम्बर 8058505094 की लोकेशन भी ट्रेस की तथा श्री जगदीश जी को ढूंढने की हरसंभव कोशिश की परन्तु समस्त प्रयासों के पश्चात भी आज दिनांक तक श्री जगदीश जी का कोई पता नहीं चल पाया है तथा श्री जगदीश जी आज भी लापता है। इस कारण वादीगण जगदीश जी विधिक मृत्यु की उपधारणा करवाकर उक्त वर्णित विवादित आराजियात में जगदीश जी के स्थान पर अपना नाम खातेदारी की घोषणा करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

5. यह कि श्री जगदीश जी के जायज एव कायम मुकामान वादीगण है तथा जगदीश जी की अनुपस्थिति के कारण सरकारी एव गैरसरकारी कार्यों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वादीगण वंचित हो रहे हैं तथा दिनांक 20.04.2010 के पश्चात वादीगण के पिता व पति श्री जगदीश जी को किसी चिर–परिचित व्यक्ति रिश्तेदार ने नहीं देखा है एवं वादीगण ने किसी भी व्यक्ति से श्री जगदीश जी के जीवित होने बाबत नही सुना है। जगदीश जी को लापता हुये 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। वादीगण के पिता व पति श्री जगदीश जी को लापता दिनांक 20.04.2010 से आज तक की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके जीवित या मृत नहीं देखे जाने पर कानूनन श्री जगदीश जी की विधिक मृत्यु की उपधारण करवाकर वादी क्रम 1 व 3 अपने पिता व वादी क्रम 2 अपने पति श्री जगदीश जी पुत्र रामचन्द्र जी जाति जाट निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0 की विधिक मृत्यु की उपधारणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी एव नालिशी है।

6. यह कि वाद पेश करने से पूर्व वादीगण कई बार प्रतिवादी के पास जाकर वादीगण के पिता श्री जगदीश जी के नाम के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम जरिये फोती इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन कर चुके हैं। परन्तु प्रतिवादी ने वादीगण की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा वादीगण के लिखित आवेदन को लेने से भी स्पष्ट इन्कार कर दिया। तत्पश्चात वादीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर बारां प्रतिवादी को नोटिस धारा 80 सी.पी.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

सी. का प्रेषित कर निवेदन कर दिया गया है। किन्तु वादीगण के पिता एवं पति श्री जगदीश पुत्र रामचन्द्र की भूमि का मुआवजा राशि के चैक आये हुये हैं जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज न होने के कारण प्राप्त नहीं हो सके। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति है। इस कारण नोटिस मियाद गुजरने तक इन्तजार करना संभव नहीं है। अस्तु धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत मियाद नोटिस अवसान से पूर्व वाद पेश किया जा रहा है।

7. यह कि वाद कारण दिनाक 23.09.2021 को वादीगण के पिता व पति श्री जगदीश जी के खाते की आराजी के मुआवजे की राशि प्रतिवादी से प्राप्त करने का निवेदन करने व अपने नाम खातेदारी दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार कर देने के कारण तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ ।
8. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादित आराजीयात के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है।
9. यह कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

प्रार्थनाः—

अतः वादीगण प्रार्थी है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावे —

(क) कि मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे बतोर खातेदार कृषक अंकित किया जावे।

(ख) कि वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली कोर्ट कैम्प बोहत में आज दिनांक 16.04.2025 को पेश हुई। पटवारी, पटवार मण्डल बोहत तहसील मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है किः—

ग्राम बोहत की आराजी खाता संख्या 221 किता 16 रकबा 13.53 है0 जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट हि0 1/20 एवं खाता संख्या 222 किता 3 रकबा 4.20 है0 जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट हि0 1/10 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट लगभग 15 वर्ष पहले लापता हो गए थे। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान से जानकारी प्राप्त की गयी। मजमेआम में उपस्थित ग्रामवासियान द्वारा बताये अनुसार खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट वर्ष 2010 में लापता हो गए थे उसके पश्चात् खातेदार की किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट का सजरा निम्नानुसार हैः—

जगदीश

↓

जितेन्द्र(पुत्र) रानी(पुत्री) ललता बाई(पत्नी)

ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट के उपरोक्त वारिसान है। रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित है।

न्यायालय उपखण्ड अधि... मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हलका पटवारी बोहत की मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र वर्ष 2010 से आदिनांक तक गुमशुदा होने संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता/पति खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट वर्ष 2010 में लगभग 15 वर्ष पहले लापता हो गए थे। तब से आज तक उनकी कहीं कोई सूचना नहीं मिली है। चूंकि वादपत्र की विवादित आराजी पैतृक व पुश्तैनी है एवं वादीगण लापता खातेदार जगदीश पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान है। इस प्रकार पैतृक आराजी में वादीगण के हक अधिकार निहित है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से वादीगण को आये दिन परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। वादीगण अपने पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट करवाकर स्वयं का नाम हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। यदि लापता जगदीश वापस आता है तो वह अपने हिस्से तक की आराजी में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अतः वर्तमान परिस्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन एवं वकील एक पक्षीय बहस से सहमत होते हुए वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में आराजी खाता सं0 नया 221 पुराना 216 से खसरा नं0 2262 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नं0 2292 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नं0 2299 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा न0 2368 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2697 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं0 2713 रकबा 1.85 हैक्टर खसरा नं0 2714 रकबा 1.55 हैक्टर खसरा नं0 2723 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं0 2731 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2802/3082 रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नं0 44 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नं0 601 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नं0 665 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नं0 675 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं0 681 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 686 रकबा 0.43 हैक्टर, कुल किता 16 रकबा 13.53 है0 एवं ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में आराजी खाता सं0 नया 222 पुराना 217 से खसरा नं0 2261 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं0 2729 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नं0 2730 रकबा 3.95 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 4.20 हैक्टर आराजी में से वादीगण के पिता/पति जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट का नाम खाते से डिलीट कर वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि तद्नुसार जमाबंदी में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 123/2021/दावा/बउनवान/जितेन्द्र चौधरी बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2021/175

निर्णय दिनांक :— 17.04.2025

बउनवान:—

1. जितेन्द्र कुमार चौधरी आयु 39 वर्ष पुत्र श्री जगदीश जाति जाट
2. ललताबाई चौधरी आंयु 57 वर्ष पत्नि श्री जगदीश जाति जाट
3. रानी चौधरी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री जगदीश जाति जाट

निवासीगण बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां राज0

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर. टी.एक्ट.

वकील वादीगण : श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एवं हरिओम यादव

वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.04.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में आराजी खाता सं0 नया 221 पुराना 216 से खसरा नं0 2262 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नं0 2292 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नं0 2299 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा न0 2368 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2697 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं0 2713 रकबा 1.85 हैक्टर खसरा नं0 2714 रकबा 1.55 हैक्टर खसरा नं0 2723 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं0 2731 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 2802/3082 रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नं0 44 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नं0 601 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नं0 665 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नं0 675 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं0 681 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 686 रकबा 0.43 हैक्टर, कुल किता 16 रकबा 13.53 है0 एवं ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में आराजी खाता सं0 नया 222 पुराना 217 से खसरा नं0 2261 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं0 2729 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नं0 2730 रकबा 3.95 ~~95~~ हैक्टर कुल किता 3 रकबा 4.20 हैक्टर आराजी में से वादीगण के पिता/पति जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट का नाम खाते से डिलीट कर वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि तद्नुसार जमाबंदी में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	.....			स्टाम्पअर्जीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील	.....			महनताना वकील	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुकमनामा	.....			बबत इजराय हुकमनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	.....		
मीजान	.....			मीजान	.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल